



पट्टा दवामी नजराना मुब0 1200/- रुपये ।

सालाना लगान मुब0 5/- रुपया ।

क्षेत्रफल भूमि 3611 वर्ग फुट ।

आवास एवं विकास है ।

स्टाम्प मुब0 1265/- रुपया ।

हम कि श्री सोमनाथ कपूर उर्फ सोमाशाह कपूर निवासी ए-328 सरोजनी नगर नई देहली व श्री सन्तराम कपूर केयर ऑफ मैसर्स डीलक्स आटो हाउस फरेजर रोड पटना-1 व श्री मेलाराम कपूर निवासी क्वाटर नं0 100 सेक्टर 8 आर0के0 पूरम न्यू देहली पुरगण श्री अनन्तराम कपूर प्रथम पक्ष व श्रीमती स्वर्ण लता धर्मपत्नी श्री सुभाषचन्द महता निवासी क्वाटर नं0 3 व 4 कृष्ण नगर कालौनी कनखल डाकखाना गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील हरिद्वार जिला सहारनपुर दिवतीय पक्ष के हैं ।

ह0
Soma Nath
Kapoor

ह0
Santaram
Kapoor

ह0
Melaram
Kapoor
स्वर्ण लता

168

7-5-85

507-

नाम श्री

अमित

द्वारा

लता

को

शुभाष

पत्र

पहता

पुत्र/पति

निवासी

विजय कुमार गुप्ता

ला० न० २४, हरिद्वार

काल

पहा दक्षिणी

नजदानी 12000/-

A/R. 5/-

कोस नजि०

136

सुदूर

6

योग

142

शब्द 1000

या

श्रीम

नाथ

कपूर

पुरा

अनन्त

राम

निवासी

A. 328

परमेश्वरी

नगर

नई

देहली

के कार्यालय सब

रजि० न०

द्वारा

मे आज

दि०

7.5.85

बीच समय

12 बजे

बजे

के

प्रस्तुत किया

मय कि०

ज० न०

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G

37G



Handwritten signature and initials.



-:2:-

जो कि प्लॉट नं० 1 जिसकी पैमायश पूर्व- 41 फुट 6 इंच, पश्चिम- 43 फुट, उत्तर- 40 फुट, दक्षिण- 53 फुट व प्लॉट नं० 2 जिसकी पैमायश पूर्व- 41 फुट 6 इंच, पश्चिम- 41 फुट 6 इंच, उत्तर- 40 फुट, दक्षिण- 40 फुट और क्षेत्रफल 3611 तीन हजार छः सौ ग्यारह वर्ग फुट है। जो आपस में मिले हुये हैं। जिनके पूर्व- रास्ता 10 फुट बादहू महता सा मिल श्री गोवर्धन लाल, महता पश्चिम- हरिद्वार रुडकी रोड, उत्तर- सम्पत्ति श्री सत्यपाल कुमार, दक्षिण- गली 10 फुट है। जो स्थित आर्य नगर ज्वालापुर परगना ज्वालापुर तहसील हरिद्वार जिला सहारनपुर अन्दर सोमा नगस पालिका समिति हरिद्वार है। उक्त दोनों प्लॉट प्रथम पक्ष के स्वर्गीय पिता ने श्री चुन्नी लाल से द्वारा विक्रय पत्र तारीख 16-5-44 प्रमाणित ता० 18-5-44 बही नं० 1 जिल्द 15 पृष्ठ 306-307 नं० 104 जिसको रजिस्ट्री हरिद्वार हुई थी, खरोद किये थे। जो आज

हो Sanjeev Kumar

हो

Sanjeev Kumar

हो

Mehar Singh स्वर्गीय लाला

हो

नं० 169 7-5-85
 नाम श्री
 पुत्र/पति
 निवासी

विजय कुमार गुप्ता
 छा० नं० २४, हरिद्वार

इस लेख पत्र के विषय को सुन व समझ कर
 दिया अंकन १. १. २०००
 पहले पा लेना क्या न कर के अब (अंकन)

नकद हस्ताक्षर उक्त सीमा राह
 बाकर सम्पादन की उक्त श्री सीमा राह व सन्त राम
 व मैला राम कपूर लुग गहर अनन्त राम कपूर
 उक्त ने हकीमत सिद्धांत मध्य श्रीमती हवामलता
 एनी सुभाष चंद्र महेका चंद्रिका नगर कालोनी
 हाईला है सम्पादन के हकीमत लक्ष्मि पट्टन
 की मन्त्रिक लुग लुग लुग राजा न.
 अन्तर्गत नाम नगर व की सुभाष चंद्र महेका
 पत्र लेखक की प्रतीक्षा करीब पत्र
 को ज्ञात है न. न. से उक्त लक्ष्मि



Sanam K...
 (Signature)

Sanam K...
 (Signature)

7/5
 (Signature)

Melapur K...
 (Signature)





-:3:-

तक हर प्रकार के ऋण परिवर्तन आदि के भार से शुद्ध और मुक्त है । जो दिवतीय पक्ष के सुसर के कब्जा में लगभग 25 वर्ष से चले आते हैं । प्रथम पक्ष उक्त दोनों प्लॉट दिवतीय पक्ष को पीढो दर पीढो के लिये सार्वकालिक स्थाई पदटे पर निम्न शर्तों पर दे रहा है और दिवतीय पक्ष ले रहा है । दोनों पक्ष और उनके उत्तराधिकारी निम्न शर्तों के पाबन्द रहेंगे :-

- 1- यह कि उक्त भूमि का आज से मुब0 5/- स्वया सालाना लगान नियत करके दिवतीय पक्ष को सर्वदा के लिये स्थाई पदटे पर प्रथम पक्ष ने दिये हैं ।
- 2- यह कि उक्त भूमि खंड की भेंट मुब0 12000/- स्वया तय पाई है जो दिवतीय पक्ष प्रथम पक्ष को निम्न ब्यौरा से देगी ।
- 3- यह कि उक्त भूमि का वार्षिक लगान प्रति वर्ष माह जून में दिवतीय पक्ष प्रथम पक्ष को द्वारा रसीद देता रहेगा ।

HO _____
Soma Shaha
Kumar

HO _____
Sanjam
Kumar

HO _____
Mela Ram Kumar स्वस्ती लता



नं० 170 7-5-85 मत 2001-

नाम श्री

पुत्र/पत्नी

निवासी

2001-8 168

विजय कुमार गुप्ता
ब्रा० नं० २४, हरिद्वार

स्वशा लता

e

अशोक कुमार

Schubert

e



1
नियम अनुसार
से हय परिचित

Remf

2/5





-:५:-

- 4- यह कि दिवतीय पक्ष को अधिकार है कि वह उक्त भूमि खंड में मकान, दुकान आदि बनावे, अपने प्रयोग में लावे, किराया आदि पर देवे या इन्हीं शर्तों पर किसी व्यक्ति के नाम पट्टा परिवर्तन करे ।
- 5- यह कि यदि किसी कारण से प्रथम पक्ष के किसी स्वत्व कानूनी की त्रुटि के कारण कुल या अंश भूमि से दिवतीय पक्ष का अधिकार हट जावे तो दिवतीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना स्मया मय हर्जा खर्चा व मय ब्याज कानूनों के प्रथम पक्ष से वसूल कर ले ।
- 6- यह कि इस समय तक उक्त भूमि खंड पर किसी प्रकार का कोई टैक्स सरकारी व नगर पालिका का नहीं है । यदि भविष्य में लगेगा तो दिवतीय पक्ष देगा।
- 7- यह कि उक्त भूमि पर अब सब सरकारों तथा नगरपालिका सम्बन्धी नियमों का पालन का उत्तरदायित्व दिवतीय पक्ष का होगा ।
- 8- यह कि दिवतीय पक्ष जब कभी किसी दूसरे के हित में पट्टा परिवर्तन करे तो उसे भी इस पट्टे की शर्तों का पालन करना होगा ।

ह0

ह0

ह0

ह0

Soma Shari
Kah

Sandam
Kupus

Mela Runkeshu स्वामी लता

विजय कुमार गुप्ता
सा० न० २४, हरिद्वार

2, 5, 15





-:5:-

अतः यह सावकालिक स्थाई पदटा लिख दिया कि प्रमाण रहे ।

रुपये का ब्यौरा :- कुल मुब0 12000/- रुपया पहले प्राप्त किया ।

TTO 7-5-85

EO Someshwar Kp EO San Dams Kp EO Melakur Kp EO रेशा लता

TTO अशोक जगन्नाथ - 12/5/11 TTO सुभाष चन्द्र बोस
अशोक जगन्नाथ - 12/5/11 हरिद्वार

टाइप कता
चशपाल सिंह
हरिद्वार

रचियता

शिवक ज्ञानचन्द महत

2 H हरिद्वार

दिनांक 6-5-85

पत्रावर उत्कृष्ट

ज्ञान चन्द महत हरिद्वार

172 7-5-85 17
 नाम श्री
 पुत्र/पति
 निवासी

168

विषय कुमार कुशा
 का. नं. 24, हरिद्वार

7/5

17/5



862 906/902
 1386
 2/5-75

Handwritten signature in red ink.